न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—41 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

प्यारा सिंह पुत्र लाभसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 42, सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री रायसिंह बैनिवाल अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—28.10.2021**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल प्यारा सिंह पुत्र लाभसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 42, सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सट्टा की खाईवाली करने एवं अवैध हथकड़ देशी शराब बेचने में सक्रिय है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली, अवैध हथकड़ शराब, अवैध देशी शराब बेचकर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुचा रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। कस्बा हनुमानगढ़ जंक्शन के लोग इससे काफी भयभीत रहते है। इसको सट्टा की खाईवाली, अवैध शराब का धंधा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	341 / 14.6.13	16 / 54 राज. आब. अधि.	चालान	सजा
2	73 / 11.2.14	13 आरपीजीओ.	चालान	सजा
3	599 / 7.11.14	19 / 54 राज. आब. अधि.	चालान	सजा
4	08 / 04.1.16	16 / 54 राज. आब. अधि.	चालान	सजा
5	454 / 14.9.16	19 / 54 राज. आब. अधि.	चालान	सजा
6	79 / 13.02.17	13 आरपीजीओ.	चालान	सजा

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल प्यारा सिंह पुत्र लाभसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 42, सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.01.2019 को उपस्थित होकर जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के वकील ने जवाब के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. आबकारी अधिनियम एवं राज. पब्लिक गैंबलिग ऑर्डिनेंस के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर रंजिशवश किये गये थे। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं कर दिहाड़ी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी आपराधिक कृत्यों सट्टे की खाईवाली नहीं करेगा व ना ही अवैध हथकड़ शराब व अवैध देशी शराब को बेचेगा। प्रार्थी दिहाड़ी मजदूरी कर अपी गुजर बसर करेगा तथा शांतिपूर्वक रहेगा एवं किसी के साथ कोई विवाद अथवा झगड़ा फसाद नहीं करेगा व नाही ऐसा कोई आपराधिक कृतय करेगा जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी होती हो। प्रार्थी भविष्य में कोई आपराधिक कृतय नहीं करेगा तथा श्रीमानजी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं आदेशों की पालना करता रहेगा। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा वार्ड पार्षद, नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व शपथ–पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ सन 2017 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी का चाल चलन सही है एवं दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी भविष्य में किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा एवं इलाके में अमन शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए इसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V,III) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को धारा 13 आरपीजीओ. में 100–100 रूपये व 16,19/54 राज. आब. अधि. में 400 व 700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2017 तक दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल प्यारा सिंह पुत्र लाभसिंह ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज़ किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़